CNR No.RJCH010002942026

न्यायालयः– सेशन्स न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– सोनिका पुरोहित, R.J.S.(DJ Cadre)

विविध फौज. प्रकरण (स्थानान्तरण) सं.50/2026

चिमनाराम पुत्र रूपाराम निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज)

-प्रार्थी

वि रु द्ध

1.हरलाल सिंह पुत्र मोहनराम निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू।

2.अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर जिला चूरू।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 448 बीएनएसएस

उपस्थित :-

1.श्री सुरेन्द्र जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1

-: आ दे श :- दिनांक-17.03.2026

1. इस आदेश के माध्यम से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण किया जा रहा है जिसके माध्यम से प्रार्थी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर के न्यायालय में विचाराधीन नम्बरी फौजदारी सं.1473/2019(CIS No.828/2023) राज्य विरूद्ध हरलाल को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने स्थानान्तरण याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस यह निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी में अनुसन्धान के बाद प्रस्तुत आरोप पत्र पर दर्ज आपराधिक प्रकरण संख्या 1473/2019 राज्य विरूद्ध हरलाल सिंह अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 193, 120बी भारतीय दण्ड संहिता को तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 20.09.2023 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर में स्थानान्तरित कर दिया गया था जो वहां पर मुकदमा नम्बर 828/2023 के रूप में दर्ज हुआ जो अब बयान मुलजिम के प्रक्रम पर है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में

प्रस्तुत धारा 311 दंप्रसं का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे तलब किये जाने वाले गवाहान के पूर्ण सही पते, मोबाईल नम्बर, कार्यालय के फोन नम्बर, ईमेल पते, वर्तमान व पूर्व पते मय शपथपत्र पेश करने हेतु आदेशित किया गया जो प्रार्थी द्वारा पेश करने पर न्यायालय ने गवाहान की तलबी के लिए थानाधिकारी कोतवाली, चूरू को आदेश दिया लेकिन कोतवाली, चूरू के तामील कुनिन्दाओं ने जानबूझकर गवाहान की तामील नहीं करवाई व हर बार कोई न कोई बहाने बनाकर जमानत वारन्ट अदम पेश कर दिये जिस पर प्रार्थी ने मय अधिवक्ता के न्यायालय से चूरू पुलिस का स्थानीय विधायक अभियुक्त हरलाल के प्रभाव में होने व जानबूझकर गवाहान की तामील नहीं करवाने का कहा एवं निवेदन किया कि गवाहान की तामील गिरफतारी वारन्ट से जरिये आईजी, डीआईजी पुलिस रेन्ज बीकानेर से करवाई जावे तब अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर ने डीआईजी के मार्फत आदेश लिखाने का कहते हुए पत्रावली अपने चेम्बर में भेज दी व तारीख पेशी बाद में पता करने का कहा लेकिन शाम को तारीख का पता किया तो पूर्व अनुसार तारीख शुक्रवार की नहीं देकर दिनांक 10.03.2026 को बयान मुलजिम हेतु दे दी इसलिए प्रार्थी को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रवैये से ऐसा विश्वास हो गया कि उसे इस न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा। दिनांक 10.03.2026 को प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुआ लेकिन न्यायालय ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया एवं प्रकरण में गवाहान तलबी की झूठी रिपोर्ट को सही मानकर कार्यवाही करते हुए बयान मुलजिम लेने पर उतारू हो गये तब प्रार्थी ने निवेदन किया एवं कहा कि वह अपने प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करवा लेगा तो उन्होंने दो दिन की तारीख देकर कहा कि दो दिन में कुछ करवा सको तो करवा लो, अन्यथा वे बयान मुलजिम लेकर फैशला करेंगे। प्रार्थी का निवेदन है कि उसे उक्त न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है इसलिए उसका उक्त प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जावे।

3. अप्रार्थी संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस यह निवेदन किया है कि प्रार्थी चिमनाराम के अधिवक्ता द्वारा तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू पर भी दबाव बनाने के लिये खुले न्यायालय में आरोप लगाये गये थे जिससे व्यथित होकर ही तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा इस न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली अन्यत्र अन्तरित करने का निवेदन किया

गया था जो कि उस न्यायालय की आदेशिका दिनांकित 16.09.2023 से स्पष्ट है। जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू द्वारा अपने कार्यालय आदेश क्रमांक 1 (जी) (1) स्था. /2023/223 दिनांक 20.09.2023 को पत्रावली अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर को अन्तरित की गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि न्यायिक अधिकारियों पर बेबुनियाद आरोप लगाना प्रार्थी की आदत में सुमार रहा है। केवल मात्र पीठासीन अधिकारी पर अनुचित दबाव बनाने के लिये तथ्य लिखे गये हैं जबकि वास्तव में दिनांक 16.01.2026 को विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 19.12.2025 को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया था कि अधिवक्ता परिवादी उक्त दोनों गवाहान के सही पते पेश करे।

3.1 यह बहस भी रही है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2026 को प्रार्थी द्वारा पता पेश करने पर गवाहान की तलबी जारी की गई एवं दिनांक 30.01.2026, 06.02. 2026, 13.02.2026 एवं 20.02.2026 को भी गवाहान को जमानती व गिरफतारी वारण्ट से तलब किया गया। गवाह डि.के. मैथिला की तामिल नहीं हो सकी तथा पड़ौसीयों ने बताया कि वह कहीं बाहर गये है, आने पर सूचित कर देंगें जबकि गवाह विनोद कुमार सीमल्टी की तामिल करवाने पर उसने आने में असमर्थता व्यक्त करते हुये वी.सी. पोईन्ट बताने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 27.02.2026 के द्वारा अभियोजन को एक अन्तिम अवसर इस शर्त पर दिया गया कि आगामी तारीख पेशी पर उक्त गवाहान की तामिल अदम प्राप्त होने अथवा गवाहान की अनुपस्थिति की दशा में साक्ष्य अभियोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार आदेश पारित किया जावेगा। गवाहान की अनुपस्थिति के कारण उक्त प्रकरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिये अभियोजन पक्ष स्वयं जिम्मेदार रहेगा इतना ही नहीं गवाहों की प्रभावी तामिल हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू, पुलिस अधीक्षक चूरू एवं आई जी रेन्ज बीकानेर को डीओ लेटर जारी कर आदेशित किया कि उक्त तामिलों की प्रतियां जरिये मेल व सम्बन्धित विभाग में भेजी जावें तथा तामिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने का अंकन भी किया गया। इसके बाद भी गवाहान की तामिल ना होने के कारण आदेशिका दिनांक 06.03.2026 के द्वारा साक्ष्य अभियोजन बन्द कर पत्रावली बयान मुल्जिम हेतु नियत की गई। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 06.03.2026 के विरूद्ध परिवादी ने माननीय उच्च

न्यायालय जोधपुर में एक पिटीसन CRLMP/10532/2026 भी पेश कर रखी है जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्य न्यायालय से जानबूझकर छिपाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में भी आई जी बीकानेर को तामिल हेतु डिओ लेटर जारी किया गया था। जहां तक तारीख पेशी शुक्रवार को ही देने की बात है तो पूर्व में भी पीठसीन अधिकारी द्वारा शुक्रवार के अलावा भी तारीखें दी गई और केवल शुक्रवार को तारीख न देने के कारण पीठासीन अधिकारी पर शंका एवं अविश्वास करने का कथन करना न्यायालय पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास ही है।

3.2 यह बहस भी रही है कि अप्रार्थी संख्या एक ने याचिका की मदात को गलत एवं बनावटी बताते हुए **विशेष कथनों** में यह अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा एक ट्रांसफर प्रार्थना पत्र इसी न्यायालय में कुछ समय पूर्व ही पेश किया गया था तथा दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कोर्ट में यह कहा कि पीठासीन अधिकारी से उसे कोई शिकायत नहीं है जबकि ट्रांसफर पीटीसन में प्रार्थी द्वारा आरोप लगाये गये थे। उक्त ट्रांसफर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2025 को अस्वीकार की गई थी। प्रकरण लक्षित होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में नजदीकी तारिख पेशीयां ही दी जाती रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय Ashwini Kumar Upadhyay Versus Union Of India & Anr. Writ Petition (s) (Civil) No(s).699/2016 Decided On 10-08-2021 में यह अभिनिर्धारित किया है कि विधायक एवं सांसद के मामलों में स्थानान्तरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर माननीय उच्च न्यायालय को है। उक्त आदेश के अनुसार विधायक एवं सांसद के प्रकरण में जिस न्यायालय में सुनवाई चल रही है उससे स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता तथा ना ही उस पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण किया जा सकता है। उक्त तथ्य प्रार्थी को भली-भांती ज्ञात है, परन्तु फिर भी न्यायिक अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाने के लिये ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थी संख्या दो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर से टिप्पणी तलब की गई जिन्होंने अपनी टिप्पणी में सम्पूर्ण घटनाक्रम को उद्दत करते हुए बिन्दुवार यह अंकित किया है कि पूर्व में अभियुक्त हरलाल के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 193, 120बी भारतीय दंड संहिता में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष आरोप पत्र दिनांक

09.10.2019 को पेश किया गया था, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के द्वारा अग्रिम अनुसंधान हेतु भेजा गया, जिसके बाद थानाधिकारी, पीएस कोतवाली, चूरू के द्वारा दिनांक **22.11.2019** को धारा 420, 467, 468, 471, 193, 120बी भारतीय दंड संहिता में अभियुक्त हरलालसिंह के विरुद्ध चालान पेश किया गया, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों बाबत धारा 173 (8) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रिम अनुसंधान जारी रखने के निर्देश दिए गए व प्रकरण में अभियुक्त हरलालसिंह के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 193, 120बी भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उसके उपरांत आदेशिका दिनांक **19.02.2020** के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक **22.11.2019** में धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रिम अनुसंधान करने की सीमा तक ही स्थगन किया गया व विचारण न्यायालय के द्वारा आदेशिका दिनांक **02.06.2023** में यह निर्धारित किया गया है कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक **22.11.2019** को पूर्ण रूप से स्थगित नहीं किया गया है व इसके उपरांत उभय पक्षकारान को बहस चार्ज हेतु अवसर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध बचाव पक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई चाराजोही की गई हो, इसके संबंध में कोई तर्क अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा नहीं उठाए गए हैं, परंतु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रसंज्ञान आदेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अभियुक्त हरलालसिंह द्वारा पेश रिविजन याचिका S.B. Criminal Revision Petition No.**36/2020** पेश की गई थी, जिसमें आदेश दिनांक **11.09.2023** के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण से संबंधित स्थगन याचिका व सभी लंबित याचिका का निस्तारण करते हुए रिविजन याचिका खारिज कर दी गई।

4.1 पूर्व में यह प्रकरण जिला एवं सेशन न्यायालय के कार्यालय आदेश **क्रमांक 1(जी) (1) स्था./2023/223 दिनांक** **20.09.2023** के द्वारा विचारण न्यायालय (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर) अन्तरित किया गया। प्रथम बार उक्त प्रकरण वर्तमान पीठासीन अधिकारी के समक्ष बहस चार्ज के स्तर पर दिनांक **31.05.2024** को पेश हुआ जिसके उपरांत प्रकरण में लगातार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की रोशनी में शीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जा रहे हैं।

दिनांक **29.08.2025** को राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-10) विभाग के आदेश क्रमांक प.17 (302) गृह-10/2025 जयपुर, दिनांक 27.08.2025 की पालना में विशेष लोक अभियोजक ने उपस्थिति दी। दौराने विचारण दिनांक **23.09.2025** को थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू ने उपस्थित होकर स्पष्टीकरण मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश किया, जो शामिल पत्रावली किए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू द्वारा एफआईआर सं. 17/2019 पी.एस. कोतवाली चूरू में अंतिम प्रतिवेदन (क्लोजर रिपोर्ट) जरिये पत्र क्रमांक 299, दिनांक **11.09.2025** प्राप्त हुई। अंतिम प्रतिवेदन (क्लोजर रिपोर्ट) के अनुसार मुकदमा हाजा में अन्य किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं होने तथा अन्य व्यक्ति शरीक जुर्म नहीं होने के कारण धारा 173(8) सी.आर.पी.सी. के तहत अनुसंधान बंद किया गया है। दिनांक **23.09.2025** को पी. डब्ल्यू 02 अर्चना सिंह के बयान जरिये वी.सी. लेखबद्ध किये गये तथा अन्य गवाह सं. 03, 04 व 08 को जमानती वारंट राशि 25,000/- रूपये जरिये एस.पी. तलब किया गया। दिनांक **08.10.2025** को पी.डब्ल्यू. 03 सुरेन्द्र सिंह, पी. डब्ल्यू 04 धर्मपाल व पी. डब्ल्यू 05 मुकेश के बयान लेखबद्ध किये गये व परिवादी चिमनाराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक **22.08.2025** को नोट प्रेस किया गया, जिस पर प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज किया गया। इसके पश्चात परिवादी मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वास्ते प्रोटेस्ट पिटिशन 190 द.प्र.सं. व 210 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके पश्चात पत्रावली दिनांक **17.10.2025** को जवाब प्रार्थना पत्र के प्रक्रम पर नियत की गयी। दिनांक **17.10.2025** को विशेष लोक अभियोजक ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा एवं अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया, जिसकी प्रति अधिवक्ता परिवादी को दिलाई गयी, इसके पश्चात पत्रावली दिनांक **31.10.2025** को बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गयी। दिनांक **31.10.2025** को बहस हेतु एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया।

4.2 दिनांक **04.11.2025** को अधिवक्ता परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रकरण में उनके द्वारा अंतरण हेतु एक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। दिनांक **28.11.2025** को जिला एवं सेशन न्यायाधीश चूरू से दिनांक **27.11.2025** का आदेश प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार परिवादी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र

अंतर्गत धारा 448 बी.एन.एस.एस. (408 दं.प्र.सं.) अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जा चुका है, जिसके पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 210 बीएनएसएस पर बहस सुनी गयी व न्यायिक दृष्टांत पेश करने हेतु अवसर दिया गया। दिनांक **06.12.2025** को परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 190 दं.प्र.सं. व धारा 210 बीएनएसएस का निस्तारण किय जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया व पुलिस द्वारा प्रस्तुत धारा 173(8) दं.प्र.सं. की रिपोर्ट "अज्ञात अभियुक्त की संलिप्तता के बाबत अनुसंधान बंद किये जाने" को स्वीकार किया गया है। इसके पश्चात गवाह सं. 06 व 07 को जरिये जमानती वारंट 25,000/- रूपये जरिये एस.पी. तलब किया गया। इसके पश्चात दिनांक 19.12.2025 को पी. डब्ल्यू 06 रामनारायण व पी.डब्ल्यू 07 गणेश कुमार के बयान लेखबद्ध किये गये।

4.3 अभियोजन की ओर से पेश समस्त गवाहान के परीक्षित होने के उपरांत अधिवक्ता परिवादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 311 दं.प्र.सं.** पेश किया, इसके पश्चात दिनांक **02.01.2026** को अधिवक्ता अभियुक्त ने जवाब प्रार्थना पत्र किया व प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दिनांक **16.01.2026** को अधिवक्ता परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. को **स्वीकार** किया गया व प्रार्थना पत्र में वर्णित दो गवाहान विनोद कुमार एवं डी. के. मथैला का पूर्ण स्थायी पता आगामी तारीख पेशी पर पेश करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 21.01.2026 को उक्त दोनों गवाहान का पूर्ण पता मय शपथ पत्र पेश हुआ एवं दोनों गवाहान को बी.डब्ल्यू 5,000/- रूपये जरिये एस.पी. तलब किया गया। दिनांक **31.01.2026** दोनों गवाहान की तामीलें अदम प्राप्त हुयी व गवाह विनोद कुमार सिमल्टी के द्वारा जरिये ई-मेल उसके वीसी से बयान लेखबद्ध करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, परंतु उसके द्वारा कोई वीसी रिमोर्ट पोईट नहीं बताया गया, जिसके संबंध में उक्त गवाहान को वीसी रिमोर्ट पोईट बताने हेतु ई-मेल प्रेषित किया गया, जिसके पश्चात भी उक्त गवाह के द्वारा उक्त ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया गया। दिनांक **06.02.2026** को उक्त गवाहान को जारी तामीलें अदम प्राप्त हुयी तथा गवाहान को जरिये बी. डब्ल्यू 50,000/-, 50,000/- रूपये जरिये एस.पी. तलब फरमाया गया। दिनांक **13.02.2026** को पुनः दोनों गवाहान की तामीलें अदम प्राप्त हुयी व तामीलों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि गवाहान को प्रकरण की सूचना हो चुकी है, अतः उक्त गवाहान की

उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 87 दं.प्र.सं./90 बीएनएसएस की पालना में उक्त गवाहान को ए.डब्ल्यू, जरिये एस.पी. तलब किया गया। दिनांक **20.02.2026** को दोनों गवाहान की तामीलें पुनः अदम प्राप्त हुयी तथा गत आदेशानुसार तामीलें पुनः जारी की गयी। दिनांक **27.02.2026** को दोनों गवाहान की तामीलें पुनः अदम प्राप्त हुयी, गवाहान को पुनः ए. डब्ल्यू से तलब किया गया व गवाहान की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेष लोक अभियोजक को जरिये ई-मेल सूचित किया गया व गवाहों की प्रभावी तामील हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चूरू व पुलिस अधीक्षण चूरू एवं आईजी रेंज बीकानेर को डी.ओ. लेटर जारी किया गया। दिनांक **06.03.2026** को दोनों गवाहान को जारी तामीलें पुनः अदम प्राप्त हुयी व साक्ष्य अभियोजन में और अधिक अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने पर साक्ष्य अभियोजन बंद की गयी व पत्रावली बयान मुल्जिम में दिनांक **10.03.2026** को नियत की गयी। दिनांक **10.03.2026** को परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रार्थना पत्र परिवादी को सुना जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए प्रकरण आगामी कार्यवाही/बयान मुल्जिम हेतु दिनांक **13.03.2026** को नियत की गयी।

4.4 उपर्युक्त संक्षिप्त घटनाक्रम के बाद विद्वान विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस स्थानान्तरण याचिका का बिन्दुवार जवाब भी पेश किया है जिसमें उक्त उक्त संक्षिप्त घटनाक्रम के तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए यह उल्लेखित किया है कि दिनांक **13.02.2026** को उक्त गवाहान को जारी तामलें पुनः अदम प्राप्त हुयी व तामीलों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि गवाहान को प्रकरण की सूचना हो चुकी है, अतः उक्त गवाहान की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु न्यायहित में धारा 87 दं.प्र.सं./90 बीएनएसएस की पालना में उक्त गवाहान को ए.डब्ल्यू, जरिये एस.पी. तलब किया गया तथा पत्रावली दिनांक 20.02.2026 को नियत की गयी। दिनांक 20.02.2026 को दोनों गवाहान की तामीलें पुनः अदम प्राप्त हुयी तब पुनः परिवादी के निवेदन पर गत आदेशानुसार तामीलें पुनः जारी की गयी तथा पत्रावली दिनांक 27.02.2026 को नियत की गयी। दिनांक 27.02.2026 को दोनों गवाहान की तामीलें पुनः अदम प्राप्त हुयी। गवाहान की तामीलों के संबंध में न्यायालय के द्वारा समय-समय पर सार्थक प्रयास किये जाने के उपरांत भी उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये तथा न्यायालय द्वारा न्यायहित में परिवादी के निवेदन पर एक

अंतिम अवसर प्रदान करते हुए गवाहान को पुनः ए. डब्ल्यू से तलब किया गया व गवाहान की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेष लोक अभियोजक को जरिये ई-मेल तामीलों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर सूचित किया गया कि दोनों गवाहों की अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के लिए अभियोजन पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा व गवाहों की प्रभावी तामील हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चूरू व पुलिस अधीक्षण चूरू एवं आईजी रेंज बीकानेर को डी.ओ. लेटर जारी किया गया व पत्रावली दिनांक 06.03.2026 को साक्ष्य अभियोजन / आगामी कार्यवाही में नियत की गयी। दिनांक 06.03.2026 को दोनों गवाहान को जारी तामीलें पुनः अदम प्राप्त हुयी व गवाहान की तामीलों के दौरान मोबाईल फोन से ली गयी फोटोग्राफ के बाबत पेनड्राईव व रोजनामचा रिपोर्ट तामील कुनिंदा मनोज एएसआई के द्वारा धारा 64 (4) (c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ न्यायालय में पेश की गयी।

4.5 हस्तगत प्रकरण एम.पी. एमएलए से संबंधित प्रकरण है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक Gen./XV/23/2025 Date 21.02.2025 तथा जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू के आदेश क्रमांक स्था./2025/1767, दिनांकित 24.02.2025 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की रोशनी में प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये है। न्यायालय द्वारा पूर्व में साक्ष्य अभियोजन हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। साक्ष्य अभियोजन हेतु अनंत अवसर दिया जाना न्याय की मंशा नहीं होने की दशा में तथा प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों के मद्देनजर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर तथा श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की रोशनी में साक्ष्य अभियोजन में और अधिक अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से साक्ष्य अभियोजन बंद की गयी व पत्रावली दिनांक 10.03.2026 को बयान मुल्जिम हेतु नियत की गयी।

4.6 जहां तक प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अंतरण प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 के तथ्य कि प्रार्थी द्वारा गवाहान की तलबी जरिये गिरफतारी वारण्ट के आई.जी., डी.आई.जी. पुलिस रेन्ज बीकानेर से करवाने का निवेदन करना, पीठासीन अधिकारी का इस बाबत आदेश लिखाने का कहते हुए पत्रावली चेम्बर में भेज देना, शाम को पाँच बजे तारीख पेशी का पता करने, तारीख पेशी पूर्व के अनुसार शुक्रवार दिनांक 13-03-2026 की न देकर

दिनांक 10-03-2026 बयान मुलजिम हेतु देने के संबंध में यह अंकित किया है कि ये तथ्य निराधार व झूठ हैं। न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गवाहान को जारी तामीलें बार-बार अदम प्राप्त होने की सूरत में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2026 को गवाहान की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेष लोक अभियोजन को जरिये ईमेल सूचित किया गया व तामीलों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी एवं गत आदेशानुसार उक्त दोनों गवाहान को तलब फरमाया जाकर गवाहों की प्रभावी तामील हेतु थानाधिकारी, थाना कोतवाली, चूरू व पुलिस अधीक्षक महोदय, चूरू एवं आई.जी. रेंज, बीकानेर को डी.ओ. लेटर जारी किया गया। इसके संबंध में गत आदेशिका दिनांक 06.03.2026 का अवलोकन किया जाए, तो गत आदेशिका दिनांक 06.03.2026 में इस आशय का अंकन है कि परिवादी स्वयं अनुपस्थित। अधिवक्ता परिवादी उपस्थित। परिवादी के पत्रावली पर संलग्न आदेशिका दिनांक 06.03.2026 पर कोई हस्ताक्षर नहीं है, जबकि अधिवक्ता परिवादी के हस्ताक्षर पत्रावली पर मौजूद है। अधिवक्ता परिवादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाने हेतु कोई निवेदन किया गया हो, इस बाबत भी कोई अंकन आदेशिका में नहीं है। पत्रावली के पूर्व के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में परिवादी के द्वारा लगातार न्यायालय में उपस्थित आते समय अपने हस्ताक्षर आदेशिकाओं पर किये गये हैं व परिवादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष समय-समय पर लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहे गये हैं। अधिवक्ता परिवादी के द्वारा गत पेशी पर डीआईजी के मार्फत तामील करवाने बाबत कोई निवेदन पत्र लिखित में पेश किया गया हो, ऐसा कोई पत्र पत्रावली पर संलन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त गत आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिवक्ता परिवादी के द्वारा मौखिक निवेदन आईजी रेंज, बीकानेर व पुलिस अधीक्षक, चूरू को व्यक्तिगत रूप से तलब किये जाने का किया गया था, उसके बाबत नियमानुसार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है।

4.7 जहां तक प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अंतरण प्रार्थना पत्र की मद सं.5 में वर्णित तथ्य कि तारीख पेशी दिनांक 10-03-2026 को परिवादी का मय अपने अधिवक्ता न्यायालय में उपसथित होना, उसके प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नहीं करना व बयान मुलजिम लेने पर उतारू हो होना, परिवादी द्वारा हाथ जोडकर पुनः निवेदन करना कि न्यायालय ने परिवादी के गवाहान की तलबी बाबत गलत व झूठ तरीके से तैयार तामिली रिपोर्ट को सही

मानकर बन्द कर दी है, वह अपने प्रकरण को अन्यत्र अन्तरित करवा लेगा जिस पर दिनांक 13-03-2026 की पेशी देकर कहना कि दो दिन में कुछ करवा सको तो करवा लेना वरना वरना बयान मुलजिम लेकर फैसला किया जायेगा इत्यादी समस्त तथ्य मनगढंत रूप से वर्णित किए गए हैं।

4.8 न्यायालय द्वारा समय-समय पर गवाहान को जारी की गयी तामीलें बार-बार अदम प्राप्त हुयी तथा युक्तियुक्त अवसर दिये गये। दिनांक 06.03.2026 को तामीलों के बाबत तामील कुनिंदा मनोज एएसआई द्वारा रोजनामचा रिपोर्ट व मोबाईल फोन पर ली गयी फोटोग्राफ की बाबत पेनड्राईव धारा 64(4) (c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ पेश की। न्यायालय द्वारा पूर्व में साक्ष्य अभियोजन हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये थे। साक्ष्य अभियोजन हेतु अनंत अवसर दिया जाना न्याय की मंशा नहीं है व हस्तगत प्रकरण एम.पी. एमएलए से संबंधित प्रकरण है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक Gen./XV/23/2025 Date 21.02.2025 तथा श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू के आदेश क्रमांक स्था. /2025/1767, दिनांकित 24.02.2025 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की रोशनी में साक्ष्य अभियोजन में और अधिक अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से साक्ष्य अभियोजन बंद की गयी। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना जाकर दिनांक 10.03.2026 को नियमानुसार प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया गया। बिन्दु संख्या 6 व 7 के तथ्य विधिक होने से इन पर कोई टिप्पणी नहीं की जाना अंकित करते हुए अन्त में यह अंकित किया है कि **अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य सूची में समस्त गवाहान के परीक्षित होने के उपरांत धारा 311 दं.प्र.सं. के तहत परिवादी के द्वारा बताये गये गवाहान की तलबी के न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों के अनुरूप युक्तियुक्त अवसर व समस्त प्रयास किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में रिकॉर्ड के विपरीत मनगढ़ंत तथ्य वर्णित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू के आदेशों की पालना में नियमानुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना करते हुए बिना किसी पक्षपात के विधि अनुसार प्रकरण के निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवादी द्वारा न्यायिक तंत्र पर झूठे व मनगढ़ंत आरोप लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त यदि प्रकरण का अंतरण किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है।**

5. बहस पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी परिवादी द्वारा यह स्थानान्तरण याचिका पेश करके यह निवेदन किया गया है कि इस याचिका में उल्लेखित उसके प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित कर दिया जावे क्योंकि उसे वर्तमान पीठासीन अधिकारी के रवैये

से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसके जवाब में अप्रार्थी संख्या एक ने निवेदन किया है कि परिवादी पीठासीन अधिकरी पर दबाव बनाने की नीयत से आरोप लगाता रहा है। पूर्व में भी उसके द्वारा इसी प्रकार मिथ्या आरोप लगाकर स्थानान्तरण याचिका पेश की जो खारिज हुई। जब तक परिवादी के पक्ष में आदेश हुए, उसे कोई एतराज नहीं था, परन्तु अब पुनः बेबुनियाद आरोप लगाकर गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर यह याचिका पेश की है। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर ने समस्त घटनाक्रम को उद्दत करते हुए बिन्दुवार टिप्पणी पेश की है। सभी पक्षकारों ने प्रकरण की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियां पेश की हैं जिनका अवलोकन किया गया।

5.1 इस याचिका के जरिये प्रार्थी परिवादी ने जिस आपराधिक प्रकरण को स्थानानतरित करवाना चाहा है, उस प्रकरण में आरोप पत्र दिनांक 09.10.2019 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के न्यायालय में पेश किये जाने व **दिनांक 16.09.2023 को प्रार्थी परिवादी द्वारा न्यायालय पर अविश्वास जताये जाने का अंकन करते हुए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू ने प्रकरण की सुनवाई करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होना मानते हुए जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू को निवेदन पत्र जारी किया जिस पर इस न्यायालय ने, परिवादी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता के निवेदन अनुसार ही प्रकरण दिनांक 30.09.2023 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर में अन्तरित किया।** प्रार्थी परिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक 01.11.2025 को उक्त प्रकरण को पुनः स्थानान्तरित करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया जो दिनांक 27.11.2025 को खारिज किया गया एवं आदेश में यह अंकित गया कि-

"जहां तक पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने, अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति एवं अप्रार्थी संख्या एक की पीठासीन अधिकारी से बातचीत होने का प्रश्न है, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर पर लगाये गये आरोप मनगढन्त एवं Vague हैं क्योंकि इनका समर्थन करने वाली कोई सामग्री पत्रावली पर नहीं है। कुल मिलाकर पत्रावली के समग्र अवलोकन से पीठासीन अधिकारी का कोई ऐसा कृत्य नहीं है जिससे प्रार्थी को न्याय प्राप्ती में अन्देशा हो गया हो। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की टिप्पणी के अनुसार अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विधि अनुसार की गई है। इसमें किसी अनियमितता को प्रार्थी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को स्थानान्तरित किये जाने के कोई भी आधार मौजूद नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।"

5.2 विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर के न्यायालय की कार्यवाही से प्रार्थी परिवादी को फिर भी एतराज रहा है कि कार्यवाही देरीना की जा रही थी, परन्तु उसके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. स्वीकार किये जाने के बाद उसका अब यह एतराज है कि साक्ष्य अभियोजन में गवाहों की उपस्थिति हेतु समुचित अवसर नहीं दिये गये हैं,

परन्तु विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर द्वारा अपने जवाब में यह दर्शित किया गया है कि-

"गवाहान की तामीलों के संबंध में न्यायालय के द्वारा समय-समय पर सार्थक प्रयास किये जाने के उपरांत भी उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये तथा न्यायालय द्वारा न्यायहित में परिवादी के निवेदन पर एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए गवाहान को पुनः ए. डब्ल्यू से तलब किया गया व गवाहान की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेष लोक अभियोजक को जरिये ई-मेल तामीलों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर सूचित किया गया कि दोनों गवाहों की अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के लिए अभियोजन पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा व गवाहों की प्रभावी तामील हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चूरू व पुलिस अधीक्षण चूरू एवं आईजी रेंज बीकानेर को डी.ओ. लेटर जारी किया गया व पत्रावली दिनांक 06.03.2026 को साक्ष्य अभियोजन / आगामी कार्यवाही में नियत की गयी। दिनांक 06.03.2026 को दोनों गवाहान को जारी तामीलें पुनः अदम प्राप्त हुयी व गवाहान की तामीलों के दौरान मोबाईल फोन से ली गयी फोटोग्राफ के बाबत पेनड्राईव व रोजनामचा रिपोर्ट तामील कुनिंदा मनोज एएसआई के द्वारा धारा 64 (4) (c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ न्यायालय में पेश की गयी।"

"न्यायालय द्वारा पूर्व में साक्ष्य अभियोजन हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। साक्ष्य अभियोजन हेतु अनंत अवसर दिया जाना न्याय की मंशा नहीं होने की दशा में तथा प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों के मद्देनजर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर तथा श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की रोशनी में साक्ष्य अभियोजन में और अधिक अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से साक्ष्य अभियोजन बंद की गयी व पत्रावली दिनांक 10.03.2026 को बयान मुल्जिम हेतु नियत की गयी।"

5.3 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार प्रार्थी परिवादी का उक्त प्रकरण लक्षित प्रकरण की श्रेणी में आता है। ऐसे लक्षित प्रकरणों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में ही विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत प्रकरण की आदेशिकाओं के अवलोकन से विद्वान विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का ऐसा कोई कृत्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे कि प्रार्थी परिवादी को न्याय प्राप्त करने में कोई अन्देशा हो। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रार्थी परिवादी के आरोप मनगढन्त एवं आधारहीन होने प्रकट होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र

में उल्लेखित प्रकरण को स्थानान्तरित किये जाने के कोई भी आधार मौजूद नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

5.4 अतः प्रार्थी चिमनाराम की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाबत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर में विचाराधीन प्रकरण नम्बरी फौजदारी सं.1473/2019 (CIS No.828/ 2023) राज्य विरूद्ध हरलाल को स्थानान्तरित किये जाने, अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सोनिका पुरोहित)
सेशन्स न्यायाधीश, चूरू

6. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
सेशन्स न्यायाधीश, चूरू